भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4979
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दस-सूत्रीय पहल

4979. श्री चंदन चौहानः
श्री दुलू महतोः
श्री बलभद्र माझीः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की बुनियादी स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पंचायती राज तंत्र/प्रणाली के साथ दस-सूत्रीय पहल को किस प्रकार एकीकृत करने की योजना है;

(ख) क्या सरकार का देश में विशेषकर झारखंड राज्य में स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ बनाने के लिए महिलाओं को पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई नीति शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों में नेतृत्व और शासन क्षमता विकसित करने के लिए कोई संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ,भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ 'प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या' और 'प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या' में से महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, झारखंड सहित 21 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, जिससे जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिला है और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण लागू है| शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुच्छेद 243घ में निर्धारित संवैधानिक प्रावधान (अर्थात कुल सीटों का एक तिहाई) लागू है |

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के अपने विषयगत दृष्टिकोण के माध्यम से थीम 9- महिला हितैषी पंचायतें सहित जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है| पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा के लिए राज्यों, झारखंड सहित, को परामर्शिकाएं भी जारी की है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के उद्देश्य से जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर मुद्दों को हल करने के लिए "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण अपनाया है तथा इसमें महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण भी शामिल है। विभिन्न नीतियों के माध्यम से, भारत सरकार स्थानीय शासन और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

(घ) मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों में अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर), पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का प्रावधान है।

इन विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, यह मंत्रालय अंतर-राज्यीय शिक्षण अनुभव आदि के लिए राज्यों के भीतर और बाहर के भ्रमणों को भी सहायता प्रदान करता है।इसके अतिरिक्त, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है।

इसके अलावा, इस योजना के तहत, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता और नेतृत्व तथा प्रबंधन कौशल बढ़ाने तथा सुशासन के लिए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में राज्यों की सहायता की है।

मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता हेतु व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) को सहभागी बनाया है |

मंत्रालय ने प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और मास्टर प्रशिक्षकों के संवर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (भूतपूर्व यूनाइटेड नेशंस फण्ड फॉर पॉपुलेशन एक्टीविटीज-यूएनएफपीए) को भी सहभागी बनाया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जमीनी स्तर की निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत राज कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण में सहायता करना है। यह प्रयास महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायतों को आदर्श के रूप में विकसित करने और ग्रामीण शासन ढांचे में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

***